उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2
संख्या-61/2016/1016/92-2-16-100जांच/2016
लखनऊ:: दिनांक:: 05 अक्टूबर, 2016

कार्यालय ज्ञाप

चूंकि यह अभिकथित है कि श्री अशोक कुमार गुप्ता, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बॉदा द्वारा विश्व बैंक ग्रामीण गोदाम परियोजना, इलाहाबाद के कार्यकाल में जनपद इलाहाबाद के अंतर्गत गोदाम अतरसुइया के निर्माण में अनियमितता/ व्यपहरण किया गया है। इस संबंध में मु0अ0सं0-48/2001 धारा-467/468/409/ 420/471/120बी0 भा0द0वि0 एवं धारा-13(1)(सी) सपठित धारा-13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत संबंधित थाना-बारा, जनपद इलाहाबाद में पंजीकृत कराया गया तथा प्रकरण की विवेचना सतर्कता विभाग से करायी गयी। विवेचना में अभियुक्त के विरूद्व उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत साक्ष्य पाया गया।

2- चूंकि मु0अ0संख्या-48/2001, थाना-बारा, जनपद-इलाहाबाद की जांच संख्या-161/2001 में उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों में श्री अशोक कुमार गुप्ता, तत्कालीन सहायक अभियंता, विश्व बैंक ग्रामीण गोदाम परियोजना, इलाहाबाद सम्प्रति सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बॉदा के विरूद्व प्रथम दृष्टया ऐसे अपराध बनते हैं, जो धारा-467/468/409/420/471/ 120बी0 भा0द0वि0 एवं धारा-13(1)(सी) सपठित धारा-13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अधीन दण्डनीय है।

3- चूंकि उक्त अभिकथन के संबंध में प्रस्तुत की गयी सामग्री तथा मामले की सामग्री एवं परिस्थितियों का पूर्ण रूपेण और सावधानी पूर्वक परीक्षण करने के उपरान्त राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त श्री अशोक कुमार गुप्ता, तत्कालीन सहायक अभियंता, विश्व बैंक ग्रामीण गोदाम परियोजना, इलाहाबाद सम्प्रति सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बॉदा को उक्त अपराधों के लिये सक्षम न्यायालय में अभियोजित किया जाय।

4- अतएव अब राज्यपाल एतद्द्वारा भ0द0वि0 एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन उक्त अपराध के लिये और उपर्युक्त कार्यो के संबंध में विधि के अन्य उपबन्धों के अधीन दण्डनीय किन्ही अन्य अपराधो के लिये उक्त श्री अशोक कुमार गुप्ता को अभियोजित करने और उक्त अपराध का किसी अधिकारिता युक्त सक्षम न्यायालय द्वारा संज्ञान करने के लिये मंजूरी प्रदान करते हैं।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

बाबूराम
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 61/2016/1016(1)/62-2-16 तदद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अनुसचिव, सतर्कता अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के अर्द्वशासकीय प0सं0-214/39-2-2016-50ए(20)/2001 दिनांक 17-05-2016 के संदर्भ में।

2- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

3- निदेशक, उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान, लखनऊ।

4- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान, इलाहाबाद।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बाबूराम)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।